आयकर प्रणाली - पुरानी और नई - CA ओंकार कुलकर्णी (omkarsculkarni29@gmail.com) (869)

आयकर अधिनियम भारत में वर्ष 1961 में लागू हुआ। तब से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाला हर एक करदाता अपने निवेश से मिलनेवाले रिटर्न का निम्नलिखित नुसार विचार करने लगा।

- 1. उस निवेश से मिलनेवाला वास्तविक रिटर्न तथा
- 2. उस निवेश के लिए आयकर अधिनियम के तहत कुल आय से मिलनेवाली कटौती कई बार भले ही वास्तविक रिटर्न एक बार कम हो फिर भी आयकर अधिनियम के तहत कटौती पाने के लिए भी करदाता निवेश करते दिखाई देते थे।

लेकिन कुछ सालों से, आयकर रिटर्न में निवेश के लिए कटौती का दावा करते समय, कई करदाता गलत जानकारी भर रहे हैं ऐसा आयकर विभाग के देखने में आया है और आ रहा है। इस के उपर समाधान के तौर पर आयकर विभाग ने नई कर प्रणाली शुरु की। निवेश के झुटे दावों पर लगाम खिचने के लिए आयकर विभाग ने यह कदम उठाया है। इसलिए वर्ष 2020 के बजट में, नई कर प्रणाली याने नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत करदाताओं और HUF करदाताओं को आयकर का भुगतान करने के लिए 115 BAC यह एक नई धारा लागू की गई। आज हम, आगे अब इस धारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।

1. Income Tax Slabs: पुरानी कर प्रणाली में कर के 3 स्तर हैं जबकि नई कर प्रणाली में निम्नलिखित नुसार 6 स्तर हैं।

| क्र.सं. | करदायी आय | आयकर का दर |
|---------|--------------------------|------------|
| 1 | रु. 3 लाख तक | ० (शून्य) |
| 2 | रु. 3 लाख से रु. 6 लाख | 5% |
| 3 | रु. 6 लाख से रु. 9 लाख | 10% |
| 4 | रु. 9 लाख से रु. 12 लाख | 15% |
| 5 | रु. 12 लाख से रु. 15 लाख | 20% |
| 6 | रु. 15 लाख से आगे | 30% |

किनष्ठ, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ ऐसी उम्र के हिसाब से न्यूनतम कर योग्य सीमा नई कर प्रणाली में नहीं है।

- **2. कर से छूट (Rebate):** पुरानी कर प्रणाली में, करयोग्य आय रु. 5,00,000/- तक होने से, आनेवाला कर छूट के रुप में (rebate) पुरी तरह माफ किया जाता था। यही रु. 5,00,000/- की सीमा नई प्रणाली में रु. 7,00,000/- इतनी कर दी गयी है। संक्षेप में वित्तीय वर्ष 2023-2024 से कर योग्य आय रु. 7,00,000/- तक होने से कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- 3. जो उपलब्ध नहीं है ऐसी कुछ कटौतियाँ/छूट (Deductions/ Exemptions): इस नई प्रणाली में मुख्य रुप से नीचे उल्लिखित कटौतियाँ/छूट आय से नहीं काटी जा सकतीं।
- Chapter VI-A के तहत कटौती (धारा 80C, 80D, 80E आदि → जैसे PPF निवेश, LIC प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम आदि)।
- खाली होनेवाले (Vacant) या खुद रह रहें हो ऐसे (Self-occupied) घर के लिए, लिए गए होम लोन पर ब्याज में कटौती।
- धारा 80TTA/80TTB के तहत ब्याज से होनेवाले आय पर कटौती।
- वेतन पर बिजनेस टैक्स, मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance), मकान-किराया भत्ता (HRA) आदि।
- राजनीतिक दल को दिया गया चंदा
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में खुद ने किया निवेश

- 4. कुछ उपलब्ध कटौतियाँ/छूट: नई प्रणाली में मुख्य रुप से निम्नलिखित कटौतियाँ/छूट आय से काटी जा सकती हैं।
- किराए से दिए हुए मकान के होम लोन पर ब्याज
- वेतनभोगी करदाता के मामले में वो जिस व्यक्ती के पास नौकरी कर रहा है उस व्यक्ति ने NPS में किया निवेश (Employer's Contribution to NPS)
- शेष छुट्टियों की बिक्री से प्राप्त आय (Leave Encashment धारा 10 (10AA)), ग्रेच्युटी (धारा 10 (10)), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement - धारा 10 (10C))
- रोज़गार से संबंधित कारणों के लिए दिए गए Perquisites
- रु. 50,000/- तक मिला हुआ उपहार (Gifts)
- वेतन से होनेवाली प्रमाणित कटौती (Standard Deduction) रु. 50,000/-
- रोजगार के कारण दिया जानेवाला परिवहन भत्ता (Conveyance Allowance)
- 5. नई कर प्रणाली यही पहला विकल्प (Default): वित्तीय वर्ष 2023-2024 से नई कर प्रणाली ही Default कर प्रणाली होनेवाली है। यदि करदाताने खुद पुरानी/नई प्रणाली नहीं चुनी तो नई कर प्रणाली ही उसका चुना हुआ विकल्प है ऐसा माना जाएगा। अगर किसी करदाता को पुरानी प्रणाली के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना है तो उसे Form 10-IEA भरना होगा और उसके बाद ही वह रिटर्न दाखिल कर सकता है।
- 6. कर प्रणाली बदलने का विकल्प: वेतनभोगी करदाताओं को हर साल नई या पुरानी कर प्रणाली में से किसी भी एक प्रणाली को चुनने का विकल्प उपलब्ध है। लेकिन जिन करदाताओं को उद्योग या व्यवसाय से आय प्राप्त हो रही हैं उन्हें केवल एक बार ही कर प्रणाली बदलने का विकल्प उपलब्ध है।
- 7. Form 10-IEA: कोई भी व्यवसायिक या पेशेवर आय न होनेवाली व्यक्ति आयकर रिटर्न में ही पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुन सकती है। उन्होंने फॉर्म 10-IEA दाखिल करने की जरुरत नहीं है। व्यवसायिक या पेशेवर आय होनेवाले करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले ही Form 10-IEA भरना आवश्यक है। इसके अलावा, उद्योग/व्यवसाय से कोई आय नहीं होनेवाले व्यक्तीने निर्धारित अवधि में ही अगर रिटर्न दाखिल किया तो वह पुरानी कर प्रणाली के तहत कर का भुगतान कर सकता है। यदी इस में रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई और Form 10-IEA दाखिल नहीं किया तो नई कर प्रणाली के तहत ही कर का भुगतान करना होगा।

इन सभी पहलुओं का गहराई से विचार कर के, अपने लिए सही टैक्स प्रणाली चुनकर चालू वर्ष में टैक्स का अग्रिम भुगतान करें और वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद, उचित पूर्तता कर के ही रिटर्न दाखिल करें।